संख्या- 02/2018/5956/71-2-17-154/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2018

विषय- एस0जी0पी0जी0आई0 में टर्शियरी केयर कैंसर सेन्टर (TCCC) हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.T-20015/32/2014-CR, दिनांक 02-12-2015 द्वारा नेशनल प्रोग्राम फार प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एण्ड स्ट्रोक (NPCDS) के अन्तर्गत एस0जी0पी0जी0आई0 में टर्शियरी केयर कैंसर सेन्टर (TCCC) के विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रथम किश्त के रूप में रू0 11.43 करोड़ (रूपये ग्यारह करोड़ तैंतालिस लाख मात्र) की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त किए जाने के आदेश निर्गत किए गये थे। उपर्युक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवमुक्त न हो पाने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.T-20015/32/2014-CR, दिनांक 07-12-2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त धनराशि 11.43 करोड़ को पुर्नवैधीकरण (revalidation) के आदेश निर्गत किए गये।

2- निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के पत्रांक-PGI/RCC/DIR/982/2017, दिनांक 12 दिसमबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में टर्शरी केयर कैन्सर केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 11.43 करोड़ की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्रीराज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर स्कीम (TCCC) की गाइड लाइन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.T-20015/32/2014-CR, दिनांक 02-12-2015 एवं 07-12-2017 में दिए गये निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
2) उपकरणों/साज-सज्जा का क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3) योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की होगी।
4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जायेगा।
5) अवमुक्त धनराशि व्यय उन्हीं कार्य मदों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है। अन्य किसी कार्य मदों में व्ययवर्तन को वित्तीय अनियमितता समझा जायेगा।
6) धनराशि की स्वीकृति/आहरण/व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-13-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैन्सर केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ड0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 02/2018/5956(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (एनसीडी-।। सेक्शन), भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।